न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर

पीठासीन अधिकारी :— अर्पिता सोनी आर.ए.एस.

प्र.सं. 64/2019
सीसीएमएस : 2019/00300

1. नत्थूराम पुत्र गोपीराम जाति बिश्नोई निवासी 35 एमएल तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज0

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर

अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

उपस्थिति :—

2. श्री महावीर बिश्नोई, वकील प्रार्थी
3. राजपैरोकार

—: निर्णय :— दिनांक : 24.03.2021

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी ने प्रार्थी के नाम चक 35 एमएल तहसील रायसिंहनगर के मु.नं. 57 प.नं. 128/312 की 1.139है. भूमि खातेदारी हैं। भूमि को माननीय आंवटन अधिकारी द्वारा नहरी आवंटन की जाकर नहरी की किश्तें जमा करवाये जाने के बाद नहरी आवंटन पटटा जारी किया गया तदोपरान्त उक्त भूमि की प्रार्थी ने आवंटन की रू से नहरी शरह से तमाम किश्तें रकम राज खजाना जमा करवा दी गई। अब जब वादी ने अपनी जमाबंदी का अवलोकन किया तो मालूम हुआ कि राजस्व अभिलेखों में उसके नाम की उक्त आवंटन शुदा भूमि नहरी की जगह बारानी अंकित की हुई है तथा आवंटन की जो सनद जारी की हुई है उसमें भी उक्त भूमि नहरी के स्थान पर बारानी अंकित की जा चुकी हैं, जबकि प्रार्थी को उक्त भूमि नहरी आवंटन हुई हैं तथा मौका पर नहरी है तथा आवंटन पट्टा व किश्तें भी नहरी की जमा करवायी हुई है जिसकी बाबत प्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय में कार्यवाही करने पर उक्त भूमि की बाबत अप्रार्थी को नहरी अंकित किये जाने का आदेश पारित किया गया जिसके अनुसार अप्रार्थी द्वारा भूमि का नामान्तरण सं. 704 दिनांक 27.06.2018 को दर्ज कर दिया गया लेकिन बाद में अप्रार्थी द्वारा किस्म परिर्वन का अधिकार श्रीमान् जी को होने का अंकन करते हुए उक्त नामान्तरण खारिज कर दियां गया जिस पर यह दुरूस्ती हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा हैं तथा प्रार्थी उक्त भूमि को राजस्व रिकार्ड में नहरी अंकन करवाने का विधिक अधिकारी हैं। चक 35 एमएल तहसील रायसिंहनगर के मु.नं. 57 प.नं. 128/312 की 1.139है. भूमि का राजस्व रिकार्ड में बारानी की जगह नहरी अंकित किया जाकर उसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में नहरी अंकित किए जाने हेतु अप्रार्थी के नाम आदेश पारित करने हेतु निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया। तहसीलदार रायसिंहनगर से प्रार्थना पत्र पर जांच रिपोर्ट तलब की गयी। एवं मूल आवंटन पत्रावली 62/2001 चक 35 एमएल नत्थूराम पुत्र गोपीराम जाति बिश्नोई सा0 बारावाली टीसी से पुख्ता आवंटन को रिकार्ड रूम से मंगवाया गया। तहसीलदार रायसिंहनगर रिपोर्ट क्रमांक भू.अ./2019/4063 दिनांक 23.10.2019, टीआरए/19/105 दिनांक 13.05.2019, भू.अ./2021/4162 दिनांक 23.02.2021 प्राप्त हुई।

बहस वकील प्रार्थी सुनी गयी। वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी को नहरी भूमि आंवटित की गयी थी। प्रार्थी द्वारा नहरी भूमि अनुसार समस्त किश्तें राज खजाना में जमा करवा दी है परन्तु राजस्व रिकार्ड में त्रुटिवश भूमि बारानी दर्ज हो गयी जिसकी दुरूस्ती की जानी न्यायोचित है। प्रार्थना पत्र स्वीकार कर राजस्व रिकार्ड में बारानी के स्थान पर नहरी दर्ज किये जाने के आदेश पारित करने हेतु निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2021.06.07 11:58:26 IST
Reason: Self Attested

बहस वकील प्रार्थी पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में पूर्व से ही मौजूद रिपोर्ट तहसीलदार क्रमांक 223 दिनांक 26.06.2019 अनुसार प्रार्थी द्वारा 35 एमएल के मु.नं. 57 में 4—10 बीघा नहरी 32000 रूपये प्रति बीघा की दर से नहरी भूमि कुल

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Scanned with CamScanner

000 रूपये में आवंटन हुई समस्त राशी जमा हैं। राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय के द्वार 2018 में इंतकाल सं. 704 दिनां 27.06.2018 तहसीलदार रायसिंहनगर द्वारा किस्म वर्तन का अधिकार उपखण्ड अधिकारी को है का नोट लगाते हुए नामान्तरकरण खारिज दिया गया। रिपोर्ट तहसीलदार रायसिंहनगर क्रमांक/भू.अ./2019/4063 दिनांक .10.2019 अनुसार चक 35 एमएल की जमाबंदी भूमि की किस्म नहरी से बारानी दर्ज हो गई। रिपोर्ट तहसीलदार रायसिंहनगर क्रमांक/टीआरए/19/105 दिनांक 13.05.2019 अनुसार पखण्ड अधिकारी के आदेश क्रमांक/आवंटन/गंग कैनाल/2002/15 दिनांक 04.05.2002 क 35 एमएल के मु.नं. 57 की 1.139हे. नहरी भूमि नत्थूराम पुत्र गोपी राम जाति बिश्नोई निवासी बारांवाली को आरक्षित मूल्य पर आवंटन दर्ज हैं। आवंटी को रकबा नहरी आवंटन है नहरी की दर से किश्तों की राशी जमा हैं। रिपोर्ट तहसीलदार रायसिंहनगर क्रमांक/भू.अ. /2021/4162 दिनांक 23.02.2021 अनुसार तहसीलदार रायसिंहनगर ने चक 35 एमएल के प.नं. 128/312 के कि.नं. 15/0.127हे., 16/0.253हे., 18/2 में 0.127है., 19 में 0.253है., 22 में 0.253है., 13/1 में 0.126है., कुल 1.139है. रकबा बारानी से नहरी दर्ज करने की अभिशंषा की हैं। मूल आवंटन पत्रावली 171/1998, 62/2001 टीसी से पुख्ता आवंटन श्री नत्थूराम पुत्र गोपीराम जाति बिश्नोई निवासी बारावाली(35 एमएल) का अवलोकन किया। प्रकरण में दिनांक 04.05.2002 को पारित आदेश अनुसार नत्थूराम पुत्र गोपीराम को मु.नं. 57 की 1.139है. नहरी भूमि आवंटित हुई थी। तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी द्वारा नहरी भूमि की दर से समस्त किश्तें भी जमा करवाई जा चुकी हैं। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं।

लिहाजा उक्त विवेचन एवं तहसीलदार रायसिंहनगर की अभिशंषा के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता हैं, तथा प्रार्थी नत्थूराम पुत्र गोपीराम के नाम दर्ज जमाबंदी समवत 2070–2073 चक 35 एमएल तहसील रायसिंहनगर के खाता सं. 146/140 के मु.नं. 57 प.नं. 128/312 की 1.139है. बारानी खातेदारी भूमि में बारानी के स्थान पर नहरी की दुरूस्ती की जाकर राजस्व अभिलेखों में बारानी भूमि के स्थान पर नहरी भूमि दर्ज करने के आदेश तहसीलदार रायसिंहनगर को दिए जाते हैं। निर्णय की प्रति तहसीलदार रायसिंहनगर को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 24.03.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अर्पिता

(अर्पिता सोनी)
उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2021.06.07 11:58:26 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner